उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या /XXX(2)/2010
देहरादूनः दिनांक 6 अक्टूबर, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अतिआवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30, वर्ष 1966) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः माह की अवधि के लिए उत्तराखण्ड राज्य की समस्त राज्य कर्मचारियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करते हुए उनकी हड़ताल आदि को निषिद्व करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

पृ.स. 1481 /(1)XXX(2)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– अंग्रेजी रूपान्तरण तथा एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित उप निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को उत्तराखण्ड असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के परिनियतन आदेश के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा उसकी संख्या 500 मुद्रित प्रतियॉ कार्मिक विभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

पृ.स. 1481 /(1)XXX(2)/2010 तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैः–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक सूचना, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त कुमाऊॅ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कर्मचारी संगठन, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the "Constitution of the India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1481/XXX(2)/2010 Dated: 6 2010 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel Department-2
No.1481 /XXX(2)/2010
Dehradun: Dated: 06 October , 2010

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (Act No. 30 of 1966) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare all services of all Government Servants and Public undertaking services as essential and prohibit their strike for the period of six months from the date of publication of this notification.

By Order,

(Dilip Kumar Kotia)
Principal Secretary.